सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3084/JH/187/2025-RU-IV दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला - दुमका
नया समाहरणालय भवन,
दुमका - 814101, झारखंड,
ई-मेल: sp-dumka@jhpolice.gov.in

विषय: **SIRB Battalion में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी के साथ गाली-गलौज तथा मारपीट करने के संबंध में- श्री राकेश देहरी, ग्राम-ननकू कुठवा, पोस्ट-कुठवा, थाना तथा जिला-दुमका (झारखंड़) का दिनांक 06.09.2025 का अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्री राकेश देहरी,
ग्राम-ननकू कुठवा,
पोस्ट-कुठवा,
थाना तथा जिला-दुमका (झारखंड़) - 814119,
Mobile No: 7061899118

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3084/JH/187/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री राकेश देहरी, ग्राम-ननकू कुठवा, पोस्ट-कुठवा, थाना तथा जिला-दुमका (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन, Specialized India Reserved Battalion (SIRB) में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

याचिकाकर्ता श्री राकेश देहरी, ग्राम-ननकू कुठवा, पोस्ट-कुठवा, थाना तथा जिला-दुमका (झारखण्ड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि Specialized India Reserved Battalion (SIRB) में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उनके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई। अभ्यावेदन में श्री कृष्णकान्त देहरी एवं श्री दीपक कांत देहरी के नामों का उल्लेख करते हुए यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत/वेदन देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण प्रार्थी भय एवं असुरक्षा की स्थिति में जीवन-यापन कर रहा है। प्रार्थी ने आयोग से अनुरोध किया है कि दोषियों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन को आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पुलिस अधीक्षक, दुमका (झारखण्ड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आयोग के नोटिस के उत्तर में संबंधित प्राधिकरण से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को बैठक सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

4. सुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त, दुमका तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में यह अवगत कराया गया कि अभ्यावेदक के पिता की दो पत्नियाँ थीं। प्रथम पत्नी से उनकी चार संतानें हैं, जबकि द्वितीय पत्नी से केवल एक संतान है, जो वर्तमान प्रकरण का अभ्यावेदक है। आयोग के समक्ष यह मामला एक **पारिवारिक जमीन बंटवारे** से संबंधित विवाद के रूप में चर्चा में आया, जिसमें जमीन की जमाबंदी, हिस्सेदारी, और बंटवारे की लिखित प्रक्रिया पर बात हुई। बातचीत में 5 लाख रुपये के लेन-देन का भी उल्लेख किया गया, साथ ही यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये नहीं दिए गए थे, बल्कि अन्य चार बच्चों, दूसरी पत्नी और पहली पत्नी को अलग-अलग दिए गए थे। याचिकाकर्ता के पिता ने यह भी कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता को भी देने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसने वह स्वीकार नहीं किया था।जमीन की सही स्थिति, जैसे वह किस रोड साइड पर है, दक्षिण तरफ है या नहीं, और कितने डिसमिल है, यह सब लिखित रूप में दर्ज कराने पर जोर दिया गया। यह भी कहा गया कि बंटवारा परिवार के बेटों के बीच होना है और इसे कानूनी व लिखित दस्तावेज़ों के आधार पर तय करना चाहिए।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

5. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पिता ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि उनके एवं उनके भाइयों के मध्य पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा अभी लंबित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उक्त बंटवारा संपन्न होने के उपरांत उन्हें प्राप्त हिस्सेदारी को अपनी सभी पाँच संतानों के मध्य विधिसम्मत रूप से विभाजित कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में वे याचिकाकर्ता को आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्ताव पर याचिकाकर्ता ने भी अपनी सहमति व्यक्त की।

6. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त सहमति तथा याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में आयोग की राय है कि यह मामला अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के मध्य उत्पन्न एक पारिवारिक एवं संपत्ति बंटवारे से संबंधित विवाद है। चूँकि याचिकाकर्ता एवं प्रतिपक्षकारों के मध्य सहमति बन गई है तथा याचिकाकर्ता के पिता द्वारा याचिकाकर्ता को आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं भविष्य में अपनी हिस्सेदारी का विधिसम्मत बंटवारा करने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए आयोग इस प्रकरण को अपनी ओर से बंद करने का निर्णय लेता है।

ii. तथापि, जिला प्रशासन, दुमका यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासनों एवं सहमति का अनुपालन विधिसम्मत रूप से किया जाए तथा इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) आयोग को निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi